न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 70/2006 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामसिंह पुत्र सुरजभान जाति अहीर,
2. रामकंवार पुत्र श्री सुरजभान जाति अहीर निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

..... प्रति0/ अपीलांट

बनाम

1. बंशी पुत्र श्री होशियार,
2. महासिंह पुत्र श्री मंगल,
3. प्रभाती पुत्र दयाकिशन,
4. ताराचन्द पुत्र श्री प्रभाती,
5. कृष्ण कुमार पुत्र श्री हजारी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।
6. संजू पुत्री श्री हजारी सिंह स्त्री श्री सतीश जाति अहीर निवासी मेघोतहाला तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
7. मन्जू स्त्री रणधीरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम टोडियाकाबास तहसील बानसूर जिला अलवर ।
8. अंजू पुत्र हजारी स्त्री रविन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम टोडियाकाबास तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्टान

10. श्रीमती मनभावती स्त्री स्व0 श्री प्रभूसिंह जाति अहीर निवासी मुडियाखेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री रामेश्वर दयाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामसिंह यादव अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 ल0 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3. श्री जगदीश प्रसाद यादप अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 6
4. श्री सुनील कुमार अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 7 व 8
5. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 9

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.07.2017

यह अपील विद्वान सहाय कलक्टर बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाईदवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 530 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा ग्राम खोहरी तहसील बहरोड़ प्रतिवादिनी नं0 3 को आवंटित की गई थी जिसका हाल ख0 नं0 819 रकबा 17 ऐयर, 820 रकबा 54 ऐयर, 821 रकबा 3 ऐयर, 822 रकबा 21 ऐयर, 823 रकबा 26 ऐयर वाके ग्राम खोहरी तहसील बहरोड़ बनाये गये हैं । साबिक ख0 नं0 530 प्रतिवादीनी नं0 3 ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बजर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दी जिजसका इन्तकाल सं0 240 वाके ग्राम खोहरी दर्ज होकर स्वीकृत हुआ । हाल बन्दोबस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून, खिलाफ मौका अनाधिकार रूप से हाल ख0 नं0 820 रकबा 54 ऐयर साबिक ख0 नं0 530 में शामिल करते हुए प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया जिसका इन्द्राज भी जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस में कर दिया जो इन्द्राज वादीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है तथा निरस्त होने योग्य है । हाल ख0 नं0 820 रकबा 54 ऐयर पर आवंटी को कभी मौके पर कब्जा नहीं दिया गया, न ही आवंटन के बाद से आज तक प्रतिवादनी नं0 3 या प्रतिवादी नं0 1 व 2 के कब्जे काश्त में रही है, ना ही अब है जिस सूरत में आवंटन की कार्यवाही स्वतः ही कानूनन निरस्त हो जाती है । हाल ख0 नं0 820 रकबा 54 ऐयर सदैव से गै0मु0 जोहड़, ख0 नं0 809 वाके ग्राम खोहरी की गै0मु0 नाली की जमीन रही है और मौके पर भी उबड़–खाबड़ व नाली के रूप में ही स्थित है । हाल बन्दोबस्त के इन्द्राज में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम बहैसियत खातेदार अंकित हो गया है जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका है तथा कागजात माल में कलमजन होने योग्य है । इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण 1 ल0 3 जबरन कब्जा करने व पत्थर डालने पर आमादा है तथा पानी रोकने की कुचेष्टा की तो वादीगण ने हल्ला मचाया । इस पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी की जब भी मौका मिलेगा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेगें । यदि प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया तो विवादित आराजी से गै0मु0 जोहड़ व ख0 नं0 809 में पानी आने से रूक जावेगा जिससे ग्राम के मवेशी को पानी पीने का कोई साधन नहीं रहेगा तथा विवादित आराजी को प्रतिवादीगण बेचान करने की जुस्तजू में भी है । प्रतिवादी सं0 4 को आवश्यक पक्षकार मानते हुए नोटिस दिया गया । दावा डिक्री करने की प्रार्थना की । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिसमें प्रतिवादी सं0 4 बावजूद सूचना हाजिर नहीं आये, । इसी तरह प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 ने पर्याप्त अवसरों के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया तथा सीी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । विद्वान तहत न्यायालय ने एकपक्षीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादीगण का वाद दि0 31.08.2004 को डिकी कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 31.08.2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में निवेदन किया कि दावे में उनकी विधिवत् तामिल नहीं हुई । उन्होंने अन्य मुकदमें में श्री दाताराम यादव एडवोकेट को वकील नियुक्त किया तथा इस मुकदमें में उन्हें वकील नियुक्त नहीं किया । निर्णय उन्हें बिना सुने पारित किया है तथा जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी । आराजी साबिक ख0 नं0 530 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा निर्विवाद रूप से प्रतिवादी नं0 3 को अलाट की गई थी तथा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपीलांट को विक्रय कर दी । बयनामें के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार हो गया तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया । वादीगण जो कि अब रेस्पो0 है का यह कथन रहा है कि आराजी साबिक ख0 नं0 530 के नंये नम्बर 819, 820, 821, 822 व 823 बने हैं तथा कुल रकबा साबिक ख0 नं0 530 के रकबे से अधिक है । तहत अदालत की पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल पेश है जिसको देखने से यह स्पष्ट है कि साबिक ख0 नं0 530 से हाल ख0 नं0 819, 820, 821 व 822 बने हैं तथा हाल ख0 नं0 823 से साबिक ख0 नं0 532 का 1 बीधा 1 बिस्वा रकबा मिलाया गया है । तहत न्यायालय की पत्रावली में हाल की जमाबन्दी भी संलग्न है जिसमें अपीलांट के नाम केवल 819, 820, 821 व 822 ही दर्ज है, 823 दर्ज नहीं है । इस प्रकार अपीलांट के नाम जो खातेदारी दर्ज की है वह केवल 819, 820, 821 व 822 की है जिसका रकबा साबिक ख0 नं0 530 के रकबे से कम ही है अधिक नहीं है । अपीलांट ने अपील के जिमन नं. 7 में यह स्पष्ट लिखा है कि हाल ख0 नं0 823 से उनका कोई सरोकार नहीं है । तहत न्यायालय ने निर्णय रेकार्ड के खिलाफ पारित किया है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि ख0 नं0 809 जोहड़ है तथा 810 जोहड़ की पाल है तथा जोहड़ का निकास ख0 नं0 820 में है । जोहड़ के पास की जमीन यदि किसी की खातेदारी की है तो उसे जोहड़ की जमीन नहीं माना जावेगा । जोहड़ का पानी यदि अपीलांट की खातेदारी की जमीन में होकर जाता है तो उससे भी खातेदारी हकूक समाप्त नहीं होते । तहत न्यायालय ने मौका रिपोर्ट को भी निर्णय का आधार माना है । उक्त मौका रिपोर्ट दावा दायरी से पूर्व की है जिस रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है । इसलिए इस तरह की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है । उन्होंने आगे कथन किया कि तहत न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 820 में से 22 ऐयर रकबा कम किया है जो विना किसी आधार के है । ख0 नं0 820 साबिक ख0 नं0 530 से बना है तथा साबिक ख0 नं0 530 अपीलांट की खातेदारी का है । भू–प्रबन्ध विभाग ने कोई नया इन्द्राज नहीं किया है बल्कि साबिक ख0 नं0 530 के जो हाल ख0 नं0 बने हैं उन पर उसी व्यक्ति की खातेदारी दर्ज की है जो पूर्व में थी । बहस में जाहिर किया कि जोहड़ की जमीन है तथा जोहड़ की जमीन पर खातेदारी मिलती है उनकी ओर से जो नजीरें पेश की है वह भी इसी बिन्दु पर हैं । इस प्रकरण में जोहड़ की जमीन पर खातेदारी नहीं दी है बल्कि जो आराजी अपीलांट ने

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

खरीद की है तथा जिसका इन्तकाल दर्ज हुआ है व जमाबन्दी में नाम आया है उसी जमीन पर अपीलांट की खातेदारी दर्ज की है । तहत न्यायालय ने अपीलांट की खरीदशुदा आराजी में से 28ऐयर रकबा कम किया है तथा निर्णय बिना अपीलांट को सुने पारित किया है तथा मौके की रिपोर्ट भी अपीलांट की मौजूदगी में तैयार नहीं की है जिस स्थिति में तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को पुनः सुनवाई का मोहताज है । उन्होंने अपने समर्थन में 2005 आर.आर.डी. पेज 587, 399, 2004 आर.आर.डी. पेज 167, 432 पेश की ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक असल रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादिनी नं0 3 को आवंटित की गई थी । उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बजर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान की है जिसका इन्तकाल सं0 240 दर्ज व स्वीकार हो चुका है । हाल बन्दोबस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून, खिलाफ मौका अनाधिकार रूप से हाल ख0 नं0 820 रकबा 54 ऐयर साबिक ख0 नं0 530 में शामिल करते हुए प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया । हाल ख0 नं0 820 रकबा 54 ऐयर पर आवंटी को कभी मौके पर कब्जा नहीं दिया तथा न ही आवंटन के बाद से आज तक प्रतिवादनी नं0 3 या प्रतिवादी नं0 1 व 2 के कब्जे काश्त में रही है । ऐसी स्थिति में आवंटन की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जाती है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होने अपने समर्थन में धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आर.एल.डब्ल्यू. 2015 पेज 2943, आर.आर.टी. 2014 पेज 256, 466, आर. एल.डब्ल्यू. 2011 पेज 1389 एवं ए.आई.आर. 2001 पेज 3215 प्रस्तुत की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2028 में साबिक ख0 नं0 530 रकबा 3 .बीधा 14 बिस्वा सिवायचक लगानी सरकारी खाते की भूमि दर्ज रेकार्ड है । नामान्तकरण सं0 77 में ख0 नं0 साबिक 530 की प्रतिवादिनी नं0 3 के नाम इन्तकाल स्वीकार गैर खातेदार आवंटी में रूप में होना पाया गया है । जमाबन्दी सम्वत् 2032 में साबिक ख0 नं0 530 के बारे में काश्तकार के कॉलम में मु0 मनभावती देवी बेवाह सि पाही प्रभू कोम अहीर सा. मुण्डियाखेड़ा खातेदार दर्ज रेकार्ड है । नामान्तकरण सं0 240 से जाहिर है कि मनभावती के स्थान पर बय के आधार पर रामकंवार, रामसिंह पि0 सूरजभान के नाम साबिक ख0 नं0 530 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा की भूमि का इन्तकाल स्वीकार हुआ है । जमाबन्दी सम्वत् 2036 में भी उक्त खसरा नम्बर पर रामकंवार, रामसिंह पि0 सूरजा स.भा. कौम अहीर सा.देह खातेदार दर्ज होना पाया गया है । उक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी नं0 3 की आराजी साबिक ख0 नं0 530 थी जो उसके द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बय की गई है और उसके आधार पर वे ख0 नं0 530 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा के खातेदार काश्तकार बने हैं । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2042 में साबिक ख0 नं0 530 की भूमि से हाल ख0 नं0 820 रकबा 0.54, 819 रकबा 0.17, 821 रकबा 0.03, 822 रकबा 0.21 व 823 रकबा 0.26 कायम हुए हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2046 में हाल नम्बरान 819, 820, 821 व 822 पर रामकंवार रामसिंह पि0 सूरजभान खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2048 के अवलोकन से जाहिर है कि हाल ख0 नं0 809 रकबा 72 ऐयर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

गै0मु0 जोहड़ सिवायचक बिला लगानी है जिस पर कोई काश्त होना नहीं पायी गयी है । इसके साथ ही जांच रिपोर्ट दि0 20.8.92 से भी स्पष्ट है कि आराजी ख0 नं0 820 रकबा 0.54 है0 चाही जो रामकंवार रामसिंह पुत्र सूरजभान का खातेदारी का नम्बर लगता है जो आज तक कभी भी काश्त ही नहीं हुआ है और काबिज काश्त भी नहीं है । ख0 नं0 809 रकबा 72 ऐयर जोहड़ है तथा इस जोहड़ की मोरी का पानी का निकास ख0 नं0 820 में से होकर आता है । पानी की मोरी ख0 नं0 820 में है जो जोहड़ में पानी जाना जाहिर है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 की बय की गई भूमि 3 बीघा 14 बिस्वा है जिसका हाल सैटलमेन्ट में रकबा 93 ऐयर दर्ज होना चाहिए था किन्तु हाल सैटलमेन्ट ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 की खातेदारी में रकबा 1.21 है0 दर्ज किया है जो 28 ऐयर अधिक दर्ज हुआ है । मुताबिक जांच रिपोर्ट ख0 नं0 809 जोहड़ है व इसमें पानी की मोरी ख0 नं0 820 से होकर जोहड़ तक जाती है जो इस 28 ऐयर रकबा से होकर ही गुजरना जाहिर होता है । इस प्रकार बन्दोबस्त हाल ने यह 28 ऐयर रकबा प्रतिवादीगण 1 व 2 की खतोदारी में खिलाफ कानून व खिलाफ मौका गलत अंकित किया है जो काबिले दुरूस्ती योग्य मानकर तहत न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ सहायक कलक्टर बहरोड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2004 यथावत रखी जाती है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner